(1)

राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/ 3757-3826 दिनांक : 31.05.2017

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/ नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं ऑयलपॉम (NMOOP) का मिनी मिशन–1/अन्तर्गत समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन को बढ़ावा देने हेतु बायोएजेन्ट/बायोपेस्टीसाईड फेरोमेन ट्रेप आदि (आई.पी.एम.) कृषको को अनुदान पर वितरण हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18

इस योजना का उद्देश्य समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन प्रणाली (आई.पी.एम) को कृषको में लोकप्रिय बनाकर पौध संरक्षण रसायनो के उपयोग मे कटौती को प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में बायो एजेन्टस/बायो पेस्टीसाईड/फैरोमोन ट्रेप्स आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य के कृषको को कीट रोग प्रकोप की स्थिति में आवश्यकता होने पर इनको अनुदान पर उपलब्ध करवाना है ।

संलग्नः– दिशा निर्देश

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/ 3757-3826 दिनांक : 31.05.17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय/माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर .....।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनु./एनएमओओपी/समन्वयक/उद्यान) मु. ।
8. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ..... ।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/आदान/पौध संरक्षण/गु. नि./जउप्र/शस्य एटीसी/प्र. एवं मू./विस्तार/रसायन)/उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास/सांख्यिकी) को नॉडल ऑफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद .....।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .....।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
15. आरक्षी पंजिका।

31.5.17

(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/ नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं ऑयलपॉम (NMOOP) का मिनी मिशन–1 अन्तर्गत समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन को बढ़ावा देने हेतु बायोएजेन्ट/बायोपेस्टीसाईड फेरोमेन ट्रेप्स कृषको को अनुदान पर वितरण।

दिशा निर्देश

इस योजना का उद्देश्य समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन प्रणाली (आई.पी.एम.) को कृषकों में लोकप्रिय बनाकर पौध संरक्षण रसायनों के उपयोग में कटौती को प्रोत्साहित करना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति में बायो एजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । कृषकों को कीट रोग प्रकोप की स्थिति में आवश्यकता होने पर बायोऐजेन्ट्स/बायो पेस्टीसाइड्स, फेरोमैन ट्रेप्स आदि सम्बन्धित योजना के दिशा–निर्देशानुसार अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

(अ) कृषकों का चयन :–

(1) जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद उक्त आदानों के अनुदानित दर पर वितरण हेतु नोडल अधिकारी होगें ।

(2) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषकों को राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर अनुदान हेतु पात्र माना जाता है। इसी प्रकार कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यू पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक द्वारा स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पत्र माना जायेंगे।

(3) अनुदान वितरण में अनुसूचित जाति के 17.83 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के 13.48 प्रतिशत अथवा जिले की जनसंख्या के आधार पर तथा महिला कृषकों श्रेणीवार 30 प्रतिशत प्राथमिकता से लाभान्वित करते हुए वितरण सुनिश्चत किया जावे ।

(4) अनुदान वितरण में अनूसूचित जाति/जन जाति/महिला/बी.पी.एल. सीमान्त/लधु एवं अन्त्योदय परिवार के कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावे, साथ ही ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जावे जिन्हे आज तक विभाग की इस योजना में लाभान्वित नहीं किया हो। यथा संभव जिले में चयनित आदर्श गाव के कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावें।

(5) यदि कोई कृषक पहचान एवं पते के सत्यापन एवं प्रमाणिकरण हेतु भामाशाह कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे पूर्ण मान्यता दी जावे।

(ब) अनुदान व आदान व्यवस्था :–

1. बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः विभिन्न योजनाओं में बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि के अनुदान की गणना न्यूनतम अनुमोदित दर पर की जायेगी। अनुदान हेतु आदानवार न्यूनतम अनुमोदित दरें एवं पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र ही भिजवा दिये जावेंगे।

2. बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि पर अनुदान का लाभ विभागीय पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज/आई.पी.एम. मोड्यूल में सम्मिलित उत्पादों पर ही देय होगा।

3. बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स/ल्योर्स आदि पर अनुदान का वितरण क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय किये जाने पर ही अनुदान देय होगा। निर्माताओं का पंजीकरण एवं दरों का अनुमोदन आयुक्तालय स्तर से किया जा रहा है। अनुमोदित दरें शीघ्र ही भिजवा दी जावेगीं।

4. कृषक अनुदान आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी अथवा सहायक/उप निदेशक कृषि कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगें ।

5. बायो ऐजेन्टस बायो पेस्टीसाइड/फैरोमेन ट्रेप्स आदि अनुदानित दर पर क्रय करने की स्थिति में कृषक द्वारा (अनुदान राशि के अतिरिक्त) शेष रही कृषक हिस्सा राशि सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ ग्राम सेवा सहकारी समिति को जमा करायी जायेगी एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा कृषक को उक्त आदान उपलब्ध करवाये जावेंगे।

6. अनुदान राशि प्राप्त करने के लिये क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति कृषकों के क्रय बिलों के आधार पर कृषकों की सूची सहित सम्बन्धित सहायक/उप निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय को क्लेम प्रस्तुत करेगें। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा अनुदान राशि का भुगतान बायो एजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड/फैरोमेन ट्रेप्स/ल्योर्स आदि की गुणवत्ता व सत्यापन उपरान्त ऑन लाईन बैंक खाते में सम्बन्धित को किया जावेगा।

7. योजनान्तर्गत बायोऐजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड/फेरोमोन ट्रेप्स/ल्योर्स आदि पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/ रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

8. क्रय किये गये बायो पेस्टीसाइड का बैचवार नमूना लिया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा परीक्षण हेतु नमूने परिशिष्ट 1 पर अंकित प्रयोगशालाओं में से किसी भी प्रयोगशाला में भिजवाया जावें तथा नमूना मानक पाये जाने पर ही भुगतान किया जावे।

9. जिलें में वितरित किये गये बायो एजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड/फैरोमेन ट्रेप्स आदि का भौतिक सत्यापन संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड 1 प्रतिशत, उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद या उनके प्रतिनिधि 2 प्रतिशत, सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) 3 प्रतिशत एवं कृषि अधिकारी 10 प्रतिशत करेगें।

10. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) अनुदान पर वितरित किये जाने वाले फेरोमोन ट्रेप्स/ आदि का क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर फेरोमोन ट्रेप्स के आयुक्तालय द्वारा तय मापदण्डों (परिशिष्ठ–2) से मिलान करेगें।